संभागीय, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत रिक्षा परिसर, प्रथम तल, पंशन बाबा संयपुर) दुरमार्च । 0771—4240278 ई—मेल -jdeduralpur@gmail.com

क / विभागीय मान्यता / आर -1039 / 2022 🕹 १४ 🤇

रागपुर, दिनाक :

11 7 JUN 2022

प्रवधक / अध्यक्ष,

रीतनंद बलदेव एजुकेशन फालण्डेशन ई-27 डिफेन्स कालोनी न्यू दिल्ली

एमिटी इंटरनेशनल रकूल सेक्टर 30 अटल नगर नवा रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.)

संस्कृति । 1348 - कार्यालय किला शिक्षा अधिकारी रायपुर क/मान्यता कहा/कहा उन्नयना/2022-23/5566 रायपुर,दिनाक 10.06.2022 कक्षोन्नयन एवं निशुल्क और अन्वितर्य बाल 'शहा का अधिकार अधिनियम 2009 की बास 18 के प्रयोजन के लिए िम्भुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अविकार लियन 2010 के निवंध 11 व्हें उपनिवंध (4) के अर्थन विधालस्य ह लिए मान्यता प्रमाण पन्।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 09.06.2022 के रान्दर्भ है और इस सद्ध में विद्यालय के साथ वरवातुवारी प्रवादार/निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी संयपुर के अनुशसा उपरात में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-30 जटल नगर नवा सायपर जिला रायपुर विद्यालिय का नाम एवं पता सहित) को कक्षा नरिरी एवं पहली से कक्षा आठवी तक संचालित कहा को कक्षान्नत करते हुए कक्षा नवमीं से बारहवी (अंग्रेजी माध्यम) तक संचालित करने हेतु राज 2022-23 से 2024-25 तक तीन हुए की अहती हैं लिए राशत अनितन कक्षोन्नयन मान्यता प्रदान करने की रूसुबना देला हू।

उपरावत रवीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यावीन होगी -

निश्चल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निश्चल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए शनवट होगी। जिसके शर्त निम्नानुसन्द

- गुन्थता की खीळति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी क्या में कहा है के प्रश्वात मान्यता/सद्धन करने के लिए कोई बारक्षा विवक्षित नहीं है। यहा यह भी स्मप्ट किया करता है कि वदि निम्न अविता मामदण्डों को दूर्ति आपके क्षस नहीं वी जानों है तो यह सराते दी गई मान्यता अनुगति स्वत (स्माप्ट गानी जावे)
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) तथा निःशुल्क छार अनिवार्य यात्र शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट-दो) के उपयधी का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कहा एक में (था यथारिवाति नर्रार) कहा में) उस कहा ने बच्चों की संख्या के 25 प्रनिशन तथ आरा-वंबीस के कमजोर वर्गी और सुविधाविधीन समूह के वर्ग्यों की प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निश्लूक एवं अनिनार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराइना। परन्तुं यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मनले ने में इन मानकों के अनुपालन किय
- 4 वेंस 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यथ की प्रतिपूर्त की जाएगे तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बेक खाता रखेगा।
- 5. सोसन्हर्ट रकूल कोई भी कंपिटेशन फीस का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके गालक वा अनिमानक के साथ किसी स्कृतिनय प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विश्वालय किसी बच्चे को संसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवंश देने से इनकार नहीं करेगे और वहीं अधिनियम की धारा 15 के उपबंधी का पालन करेगा।
- 7 स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - (एक) प्रयोश दिए गए किसी भी उच्चे को विधालय में असकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी उच्चे ने फील या उस् विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा
 - किसी भी बढ़के को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्सीडन के अध्यक्षीन नहीं किया जायंगा (31)
 - (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी
 - (बार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकादित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (पाँच) अधिनिधम के उपवंद्यों के अनुसार निश्चका / विशेष आवस्यकता वासे विद्याशिया को प्रवेश विक आएगा
 - अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धार। 23(1) के अधीन यथा अधिकथित व्यून्तम अङ्गाओं के साथ की जाती है वर्शन कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यून्तमें अईल नहीं रखते हैं. उन्हें अधिनियम क प्रारम होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होनी

Ms. Priya Shrivastava **Headmistress** Amity International School, Raipur Dinya Bhalil

Ms. Divya Bhatia Manager Amity International School, Raipur